

20/10/21 पञ्जावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021 गांव गालीजाल के
पेश इरी प्राची को कोर लें उपरोक्त
प्रार्थना पत्र धारा 136 के वाजरव आधी किप
के तहत पेश किया जिस पर लक्ष्मी लदा
जुनी रादा जवाब पेश किया गया।

प्राणी का कर्म रहा कि गण माउं
 के चमसा ९ ३५९ रुका १ बीघा ०५
 चमसा नम्बर ५६२ रुका १६.०१ बीघा चमसा
 नम्बर १९५ रुका ६६ बीघा १ किंका
 तथा चमसा नम्बर १८ रुका ५२.०६ बीघा
 कुल चमसा ५ रुका १५५.०१ बीघा प्राण
 अथ सप्त एत प्राणी के नाम दत्त रही है
 परन्तु गलत रूप से परिषदा का विरलेषण
 एत प्राणी का नाम दत्त मल डेली कनाप
 मंदिर की हाकुरजी के नाम का किया है
 किन्तु शुद्ध किन्तु जान तथा तेज पर
 किया जाय।

तस्सीलगाट प्रान्त द्वारा प्रकृत पिपा
 के प्रयोग चमसा का कुल १५५ बीघा ०१
 अथ सरी सप्त से डेली कनाप मंदिर की
 रघुनाथजी मंदिर के नाम से दत्त है
 जो राजस्थान सरकार के परिषदा के अनुमान
 ली है तथा मंदिर की प्राप्ति राज सरकार
 के संरक्षण के त तथा धारा १३६ के
 तहत शुद्ध की किन्तु जो लनरा त मों
 की प्राणी का खातेदारी अपु
 मानी है

नम्बर व तारीख
अदकाम जो इस
दुपम की तामील
में जारी हुए

दुपम या कार्यवाही मय इतिहासगत जज

पञ्जाबी के आनन्दमन सिंह द्वारा
धारा 136 के अन्तर्गत शिपीयुज सुटि ही
शुद्ध प्रमाणों के अभाव में परन्तु उक्त
प्रकरण में राज्य सरकार के पारिपत्रक में
प्रस्तुत की गई है जो विभाग के अधिकारी
डोली भी सुनायत्री के नाम से करीब
लेखी प्रमाणों के अभाव में प्रमाणित
नहीं होना से खारिज किया जा रहा है
प्रतीत होता है जो खारिज किया गया है
पञ्जाबी के अन्तर्गत सुटि ही पर
दाखिल है

उपरोक्त अभिलेखी पर्यन्त सहायक कलक्टर लुणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट